COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

(314)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निग – 3203 – PBR-16

प्र0क0 /II/16 निगरानी

सचिन पाटीदार पिता शरद चंद्र पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत दुपाड़ा जनपद पंचायत मो0बड़ोदिया जिला शाजापुर

——— प्रार्थी

बनाम

1– म0प्र0शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय जिला शाजापुर

2– विजयसिह ठाकुर सचिव ग्राम पंचायत दुपाड़ा जनपद पंचायत मो0बड़ोदिया जिला शाजापुर म.प्र.

—— विपक्षीगण

लाखन सिंह धाकड़, अभि० द्वारा आज दि. 19-9-16 को प्रस्तुत

19-9-16
राजस्व मण्डल ग्वालियर

19.09.16
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

<u>**निगरानी बनाराजगी आदेश श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर म0प्र0 प्र0क0 1 अ–89 अ–23/14–15 आदेश दिनांक 15–07–2016 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0**</u>

माननीय महोदय,

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्नानुसार **प्रस्तुत** है :–

1– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर ने प्र0क0 1 अ–89 अ–23/14–15 प्रार्थी एवं विपक्षी क0 2 के विरूद्ध कायम कर सूचना पत्र दिनांक 23–7–2015 को जारी किया गया । प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में धारा 11 सी0पी0सी0 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि नोटिस में वर्णित तथ्यो के संबंध में ही पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा जवाबकर्ता को सूचना पत्र दिया जाकर प्र0क0 1अ–89 अ–9/13–14 कायम किया गया था । जिसमें उक्त तथ्यो के संबंध में जवाबकर्ता ने उत्तर भी प्रस्तुत किया था एवं माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26–11–2014 के द्वारा नोटिस एवं प्रकरण निरस्त किया गया है । परन्तु इसके बाद भी उक्त तथ्यो पर ही पुनः प्र0क0 1अ/89 अ–25/14–15 कायम किया जाना तथा नोटिस दिया जाना एवं जांच तथा विचारण किया जाना विधि विरूद्ध होकर न्यायसंगत नही है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) का स्पष्ट उल्लंघन है एवं धारा 11 सी0पी0सी0 के अनुसार भी प्रांग न्याय के अनुसार माननीय न्यायालय में जवाबकर्ता के विरूद्ध दर्ज प्र0क0 1अ/89 अ–25/14–15 सुनवाई योग्य नही है एवं प्रांग न्याय की बाधा आती है धारा 300 (1) द0प्र0सं0 में भी स्पष्ट व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी

XXIX(a)-BR(H)-11

(314)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3203-पीबीआर/16 . **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	